UPGK010049552026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2153/2026

अर्पिता यादव उर्फ उषा यादव पुत्री हरिशंकर प्रसाद यादव, निवासिनी ग्राम- सोहंग, थाना- तुर्कपट्टी, जनपद- कुशीनगर। .....**आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 123/2026
अंतर्गत धारा- 108 B.N.S.
थाना- एम्स, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 25.06.2026

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 123/2026, अंतर्गत धारा- 108 B.N.S., थाना- एम्स, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2017 को वादी के भाई प्रदुम्मन कुमार यादव उर्फ चेतन का विवाह अर्पिता यादव उर्फ उषा के साथ हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद ही पति पत्नी में विवाद हो गया था, जिसमें दहेज उत्पीड़न व खर्चा का मुकदमा वादी के भाई की पत्नी द्वारा किया गया था, जो चल रहा है। इसी मुकदमे की पैरवी में वादी का भाई दिनांक 12.05.2026 को परिवार न्यायालय, कुशीनगर आया था। वहां से वादी का भाई, भोपाल में स्थित आटो मोबाइल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, जाने के लिए निकल गया। वादी का भाई प्रदुम्मन कुमार यादव दिनांक 14.05.2026 को समय करीब छः बजे कुसम्ही जंगल स्थित बुढिया माता मंदिर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मरने के पहले उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उस वीडियो को देखने के बाद वादी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना व अपने भाई के मोबाइल नंबर दिया, जिसको ट्रेस करके पुलिस ने वादी के भाई का शव व मोबाइल बरामद किया। वादी के भाई प्रदुम्मन कुमार यादव को उसकी पत्नी अर्पिता यादव व उसके मायके के लोग आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दबाव बनाते थे कि अपनी पूरी कमाई उन्हें दे नहीं तो जान से

मरवा देंगे, जिससे वादी का भाई डिप्रेशन में आकर और उक्त लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी पूर्णतया निर्दोष है तथा अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है। प्रार्थिनी को मात्र हैरान व परेशान करने के लिए तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए काफी सोच विचार करके विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद थाने पर दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण वादी मुकदमा द्वारा अपने प्राथमिकी में नहीं दर्शाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थिनी की शादी मृतक के साथ दिनांक 02.06.2017 को हुआ था तथा वह दूसरे दिन विदा होकर ससुराल गयी। ससुराल में उसके पति (मृतक) तथा उसके परिवार के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग किये जिस पर दिनांक 25.01.2017 को मृतक के पिता उमापति यादव के खाता सं० - 22044458445 में मु० 2,25,000/-रू० ट्रान्सफर किये। इस तरह से प्रार्थिनी के पिता ने मृतक व उसके परिवार वालो को कुल 6,00,000/-रू० से अधिक दिया बावजूद उसके प्रार्थिनी के पति/परिवार के अन्य लोग खुश नहीं रहते थे और अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। मृतक हरियाणा में प्राईवेट कम्पनी में कार्यरत था। कुछ दिन के लिए प्रार्थिनी को अपने साथ लेकर के गया। वहाँ भी प्रार्थिनी के साथ मारपीट गाली गलौज व दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इस बीच वह गर्भवती हो गयी। थोड़े दिन बाद मारपीट करके लाकर गांव मे छोड़ दिया। गांव मे आने के बाद मृतक व उसके परिवार के सभी लोग दहेज के लिए फिर से प्रताडित करने लगे व मार पीट करने लगे। प्रार्थिनी द्वारा अपने पिता को सूचना दिया जिस पर गांव के संभ्रान्त लोग आये समझाये बुझाये लेकिन पूरा परिवार दहेज के लिए अड़ा रहा तथा बार-बार यही कहते थे कि बिना दहेज दिये कोई आगे बात नहीं होगी। इस दौरान प्रार्थिनी के गर्भवती होने की जानकारी होने के बाद तथा बार-बार अनुरोध करने के बाद भी प्रार्थिनी व उसके पेट में पल रही बच्ची का देख भाल नहीं करते थे और केवल और दहेज के लिए ही रट लगाये रहते थे तथा उत्पीड़न करते हुए मृतक दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा डण्डे से मारते पीटते थे लेकिन प्रार्थिनी सब कुछ भविष्य में ठीक हो जायेगा इस उम्मीद में सहन करती रही। प्रार्थिनी को उसके ससुराल में अक्सर मां बहन व साली की गन्दी गन्दी गाली देते हुए उसके पति (मृतक) तथा सास ससुर व अन्य लोग मारते पीटते तथा बाल पकड कर नोचते थे तथा खाना पीना बन्द कर देते थे और घरेलू उत्पीडन करते थे जिससे तंग होकर जून 2020 के प्रथम सप्ताह में अपने घर वालो को फोन की पंचायत हुई लेकिन अतिरिक्त दहेज की मांग पर अड़े रहे और बातचीत करने पर प्रार्थिनी व उसकी बच्ची को मारपीट कर खदेड दिये, तब से वह आकर अपने पिता के घर पर रह रही थी। प्रार्थिनी अपना कोई भविष्य न देखकर करके और ससुराल वालो की उपेक्षा तथा उत्पीड़न से आजीज होकर काफी विवश होकर के परिवार न्यायालय कुशीनगर के समक्ष धारा-125 द०प्र०सं० के अंतर्गत वाद सं०-03/2021 दिनांक 04.01.2021 को अपने पति / मृतक के विरूद्ध अर्पिता यादव बनाम प्रदुम्न कुमार

यादव दाखिल किया। उक्त मुकदमे में साक्ष्य सबूत तथ्यो को देखते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक-16.10.2024 को दिनांक 04.01.2021 से मु०- 5000 रू० प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की बेटी जिया को उसके बालिग होने तक मु० 3000/-रू० इसत तरह से कुल मुव० 8000/-रू० भरण पोषण का आदेश पारित किया। भरण पोषण का वाद लम्बित रहने के दौरान विपक्षी/मृतक को न्यायालय द्वारा तथा मध्यस्थता केन्द्र मे भी कई बार प्रार्थिनी व उसकी बच्ची को ठीक से रखने तथा मारपीट न करने तथा दहेज के लिए प्रताड़ित न करने के लिए समझाया बुझाया गया लेकिन मृतक व उसके परिवार के भाई पिता वगै० कत्तई राजी नहीं थे और प्रार्थिनी व बच्ची को साथ रखने व भरण पोषण करने के मुद्दे पर खुद आपस में लड़ते तथा गाली गलौज करते थे और वही मध्यस्थता केन्द्र में अराजकता का वातावरण पैदा कर देते थे। मृतक के द्वारा निर्णय पारित होने के बाद भी जब कुछ भी पैसा नही दिया तब विवश होकर दिनांक 13.01.2025 को प्रार्थिनी द्वारा अन्तर्गत धारा- 147 बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण वाद सं०-45/2025 इजरा वाद दाखिल किया जो लम्बित है। जिसमे मृतक के विरूद्ध वसूली वारण्ट 4,96,000/-रू० का जारी हो गया था तथा लगातार उसके आवासीय पते व थाने पर न्यायालय से वसूली कार्यवाही जा रही थी। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक- 09.03.2026 को 4,96,000/-रू० वसूली हेतु तथा कुर्की की कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन किया था जिसका कागज/वसूली पत्र कसया थाने पर गया था जहाँ पर स्थानीय/हल्के के दरोगा द्वारा बुलाकर मृतक को पैसा देने के बावत काफी समझाया था और पैसा न देने पर चलान कर देने व कार्यवाही करने की चेतावनी दिया था। बावजूद उसके मृतक द्वारा पैसा नही दिया और थाने से जाने के बाद मृतक के परिवार मे आपस मे काफी लडाई झगडा कहा सुनी हुआ तथा परिवार वालो ने घर से डाट फटकार के खदेड दिया। प्रार्थिनी को मारपीट कर घर से निकालने के बाद से केवल अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश महोदय तथा मध्यस्थता केन्द्र में वार्तालाप के दौरान सही गलत सारी चीजे पूछी गयी उसके अलावा कभी कोई बातचीत मृतक से प्रार्थिनी की नहीं हुई। प्रार्थिनी व उसके पति/मृतक से कभी मोबाईल से भी बातचीत नहीं हुई। मृतक अपनी नौकरी से कब आया था कितने दिन घर रहा कहा कहा गया तथा किससे किससे बात हुई प्रार्थिनी को इसके बारे मे कोई जानकारी नही है और न ही इस दौरान प्रार्थिनी से किसी प्रकार का वार्तालाप ही हुआ जो उसके द्वारा आत्महत्या करने का कारण बना हो। घटनास्थल से प्रार्थिनी का घर करीब 80 किलोमीटर दूर है। प्रार्थिनी का यहा आना जाना बातचीत या किसी से परिचय या जान पहचान भी नही है और न ही मृतक द्वारा आत्महत्या किये जाने के दिन प्रार्थिनी से उसकी या उसके परिवार की कोई बातचीत ही हुई है। मृतक का घर भी घटना स्थल से 70 किलोमीटर से ऊपर दूर है। यहाँ कैसे व किन परिस्थितियो में किसके साथ किस कारण से आया इससे प्रार्थिनी व उसका पूरा परिवार खुद अनभिज्ञ है तथा यहा/गोरखपुर आने आदि के बारे मे कोई जानकारी प्रार्थिनी व उसके पूरे परिवार को नहीं है। मृतक का प्रार्थिनी के किसी सदस्य से कोई बातचीत आदि नही होती थी ऐसी परिस्थिति मे मृतक को प्रार्थिनी व उसके परिवार वालो के द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की कहानी पूर्णतया झूठी है। मृतक खुद हाईपरसेन्सटिव था तथा प्रार्थिनी को यह पता चला था कि वह अपने परिवार से खुद प्रताड़ित व दुखित था तथा उसके परिवार मे आपस मे

हमेशा तमाम मुद्दो को लेकर के लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। प्रार्थिनी द्वारा भरण पोषण के बाद की वसूली के अलावा किसी अन्य तरीके से कोई लिखा पढी या धमकी तथा आत्महत्या आदि के उकसाने के बावत प्रार्थिनी का कोई रोल नहीं रहा है और न ही कभी प्रार्थिनी व उसके परिवार द्वारा मृतक से कोई बातचीत ही होती थी। वादी मुकदमा द्वारा अपने प्राथमिकी में यह कहना कि भरण पोषण/इजरा वाद के मुकदमे की पैरवी मे उसका भाई मृतक दिनांक 12.05.2026 को मा० परिवार न्यायालय कुशीनगर पडरौना में आया था और वहाँ से भोपाल जहाँ पर इन्जीनियर के पद पर कार्यरत है जाने के लिए निकल गया तथा वह दिनांक 14.05.2026 को मन्दिर के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। यह बाते गलत आधारहीन तथा मनगढन्त है। प्रार्थिनी द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ धारा- 128 सी०आर०पी०सी की आर्डरशीट दाखिल कर रही है जिसमें दिनांक 12.05.2026 को कोई तिथि ही नहीं थी और न ही उक्त इजरा वाद में कभी उपस्थित ही रहा है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा का कथन एकदम झूठा है। प्रार्थिनी महिला है तथा उसके पास एक छोटी बच्ची है। वह पढ रही है। मायके में माँ बाप के पास रह करके प्रार्थिनी अपना तथा बच्ची का किसी तरह से गुजर बसर व लडकी की देखभाल कर रही थी। प्रार्थिनी के पास जो एक सहारा व उम्मीद था वह भी समाप्त हो गया वह खुद बेसहारा हो गयी है। प्रार्थिनी ने इस तरह की घटना की कल्पना जीवन मे नही किया था। वह केवल अपने भरण पोषण की लडाई लड रही थी न की अपने पति के जीवन को समाप्त करने की साजिश या किसी तरह की कोशिश कर रही थी। वह खुद इस घटना से काफी स्तब्ध दुखी मर्माहत व पीड़ित है तथा प्रार्थिनी का सब कुछ समाप्त हो गया अब उसके पास कुछ शेष नहीं बचा है और नहीं तो ससुराल वालो के तरफ से एक और गम्भीर दुख/प्रताडना प्रार्थिनी व उसके परिवार वालो के उपर दे दिया गया है। प्रार्थिनी व उसकी छोटी बच्ची को अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति मे उसके व उसके परिवार वालो के विरूद्ध गलत मुकदमा दर्ज करवा करके उसके जीवन व भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ वादी मुकदमा व उसके परिवार वालो तथा मेलीमदगार के लोगों ने किया है। थाना स्थानीय की पुलिस भी इस पूरे मामले की असलियत जान रही है तथा यह भी मालूम है कि प्रार्थिनी व उसके पूरे परिवार का इस मामले से कुछ लेना देना नही है। मृतक व उसके परिवार को प्रार्थिनी तथा उसके बच्चे का भरण पोषण न देना पड़े तथा उसके द्वारा अपने ससुराल में अपना हक हिस्सा न मांगे तथा प्रार्थिनी व उसके माता पिता व भाई इस मामले में उलझ जाये और नाहक परेशान रहे। इसी सब साजिश के तहत यह मुकदमा अपना दावा व अधिकार प्रार्थिनी व उसकी छोटी बच्ची छोड़ दे इसी के नाते गलत ढंग से दर्ज कराया गया है। प्रार्थिनी को घर से बिना नियम कानून व विधिक प्राविधानों/उपबन्धों का पालन किये ही थाना एम्स की पुलिस द्वारा दिनांक 15.05.2026 को रात 11.45 बजे रात को सरसरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल भेज दी है जबकि प्राथमिकी दिनांक 16.05.2026 को दर्ज दिखायी गयी है। उपरोक्त के आधार पर आवेदिका/ अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने पति को आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गयी। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने पति को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने का अभियोग है। आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्ता है। दौरान विवेचना वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्निहित तथ्यों का समर्थन किया गया है। केस डायरी में अंकित अवलोकन वीडियों के विवरण के अनुसार स्वयं मृतक द्वारा उक्त वीडियों में अभियुक्ता की प्रताड़ना के कारण फांसी लगाया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता अर्पिता यादव उर्फ उषा यादव द्वारा मु०अ०सं०-123/2026, अंतर्गत धारा- 108 B.N.S., थाना-एम्स, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-25.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.25 16:40:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court